



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2016/माघ 19, 1937

No. 56]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2016/ MAGHA 19, 1937

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2016

संभा.आ.प.-34(41)/2015-मेडि./164364.-भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 10(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः:

1. (i) इन विनियमों को "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली (संशोधन), 2016" कहा जाएगा।  
(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में पॉइंट संख्या 7 "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की रिपोर्ट" के अंतर्गत उप-खंड (ख) और (ग) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किए जाएंगे:  
 "(ख) परिषद् की सिफारिश, चाहे वह अनुमति पत्र हो, जारी की जानी चाहिए और यदि ऐसा है, तो प्रति अकादमिक वर्ष सीटों की संख्या की सिफारिश की जानी चाहिए। परिषद्, मेडिकल कॉलेज की स्थापना और अस्पताल सुविधाओं के विस्तार के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की सिफारिश करेगी। इस सिफारिश में, आगामी वर्षों के दौरान छात्रों के प्रवेश के अनुरूप भवनों, व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अवसंरचनात्मक लक्ष्यों के संबंध में पूरी की जाने वाली प्रारंभिक शर्तों का एक सुस्पष्ट विवरण भी शामिल होना चाहिए।  
 (ग) जहां परिषद्, अनुमति पत्र जारी न करने की सिफारिश करती है, वह केंद्र सरकार को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगी:  
 (i) केंद्र सरकार की अनुमति प्रदान न किए जाने के इसके कारण; और  
 (ii) ऐसे दस्तावेज/तथ्य, जिनके आधार पर परिषद् योजना का अनुमोदन न करने की सिफारिश करती है।"
3. "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में पॉइंट संख्या 7 "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की रिपोर्ट" के अंतर्गत उप-खंड (घ) का विलोप किया जाएगा।
4. "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में पॉइंट संख्या 8 "अनुमति की स्वीकृति" के अंतर्गत उप-खंड (1) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:  
 "(1) अनुमति पत्र के लिए परिषद् की सिफारिश पर केंद्र सरकार, मूल प्रस्ताव में ऐसी शर्तों और आशोधनों, जो आवश्यक समझे जाएं, के साथ कोई नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एक पत्र जारी कर सकती है। इस पत्र में, छात्रों का पहला बैच दाखिल करने से पहले भवनों, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, मेडिकल एवं संबद्ध उपकरणों, सुविधा और स्टाफ के संबंध में पूरी की जाने वाली प्रारंभिक शर्तों का एक सुस्पष्ट विवरण भी शामिल किया जा सकता है। औपचारिक अनुमति, उपर्युक्त शर्तों और आशोधन स्वीकार कर लिए जाने और व्यक्ति द्वारा अपेक्षित रकम की

कार्य—निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श कर लेने के पश्चात ही स्वीकृत की जा सकती है।”

5. तदनुरूप, समय अनुसूची में आशय पत्र के स्लॉट का विलोप हो जाएगा।

डॉ. रीना नय्यर, प्रभारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./358]

**पाद टिप्पणी :** प्रधान विनियमावली नामतः “मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999” भारत के राजपत्र के भाग—III, खंड (4) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 28 अगस्त, 1993 की अधिसूचना संख्या 34(41)/98—मेडि. के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 22.10.1999, 01.08.2008, 26.08.2009, 22.10.2009, 13.11.2009, 02.02.2010, 26.02.2010, 16.04.2010, 14.10.2011, 04.06.2012, 01.10.2012, 19.03.2014, 22.08.2014ए 19.10.2015 और 14/01/2016 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

### MEDICAL COUNCIL OF INDIA

### AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2016

**No.MCI-34(41)/2015-Med./ 164364.**—In exercise of the powers conferred by Section 10(A) read with Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Establishment of Medical College Regulations, 1999” namely: -

1. (i) These Regulations may be called the “Establishment of Medical College Regulations, (Amendment), 2016”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the “Establishment of Medical College Regulations, 1999”, under Point No.7 “REPORT OF THE MEDICAL COUNCIL OF INDIA”, sub clause (b) & (c) shall be substituted as under:-
  - (b) The recommendation of the Council whether Letter of Permission should be issued and if so, the number of seats per academic year should be recommended. The Council shall recommend a time bound programme for the establishment of the medical college and expansion of the hospital facilities. The recommendation will also include a clear cut statement of preliminary requirements to be met in respect of buildings, infrastructural targets to be achieved by the person to commensurate with the intake of students during the following years.
  - (c) Where the Council recommends for not issuing of Letter of Permission, it shall furnish to the Central Government –
    - (i) Its reasons for not granting the Central Government permission; and
    - (ii) Documents/facts on the basis of which the Council recommends the disapproval of the scheme.
3. In the “Establishment of Medical College Regulations, 1999”, under Point No.7 “REPORT OF THE MEDICAL COUNCIL OF INDIA”, sub clause (d) be deleted.
4. In the “Establishment of Medical College Regulations, 1999”, under Point No.8 “GRANT OF PERMISSION”, sub clause (1) shall be substituted as under:-
  - (1) The Central Government, on the recommendation of the Council for Letter of Permission, may issue a letter to set up a new medical college with such conditions or modifications in the original proposal as may be considered necessary. This letter can also include a clear cut statement of preliminary requirements to be met in respect of buildings, infrastructural facilities, medical and allied equipments, faculty and staff before admitting the first batch of students. The formal permission may be granted after the above conditions and modifications are accepted and the performance bank guarantee for the required sums are furnished by the person and after consulting the Medical Council of India.
5. Correspondingly, the slot for Letter of Intent in the Time Schedule shall stand deleted.

Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c

[ADVT.-III/4/Exty./358]

**Foot Note:** The Principal Regulations namely, “Establishment of Medical College Regulations, 1999” were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 28th August, 1999, vide Medical Council of India notification No.34(41)/98-Med. and amended vide notification dated 22/10/99, 01/08/2008, 26/08/2009, 22/10/2009, 13/11/2009, 02/02/2010, 26/2/2010, 16/4/2010, 14/10/2011, 4/6/2012, 1/10/12, 19/3/14, 22/8/14, 19/10/2015 & 14/01/2016.